आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 मार्च 2023

क्रमांक एफ 07-11/2016/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 05-12-2017 द्वारा सारंगढ़ विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

सारंगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सारंगढ़	127, 130/1ख, 140/1, 2, 131/1, 143/1, 172/1/ख	2.633	कृषि व्यवसायिक, प्रस्तावित मार्ग	आवासीय (प्रस्तावित मार्ग छोड़ कर)

2. उक्त उपांतरण विकास योजना में त्रुटि सुधार हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा सारंगढ़ विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण सारंगढ़ विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 7-15/2017/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय शुक्ला, भारतीय वन सेवा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 21 एवं 22 सहपठित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 19 के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नियुक्त करता है.

2. उपरोक्तानुसार नियुक्ति के फलस्वरूप श्री संजय शुक्ला की सेवा शर्तें, पदावधि, वेतन एवं भत्ते आदि ऊपर वर्णित अधिनियम/नियम के प्रावधानों से शासित होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, संयुक्त सचिव.